छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | पंचम सत्र | अंक-1

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2015

(आषाढ़ 29, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2. निधन का उल्लेख

मानलीय अध्यक्ष ने श्री नरसिंह प्रधान, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री मांडवी हान्दाराम, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, राज्य सभा एवं अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

मुख्यमंत्री-डॉ.रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष-श्री टी.एस.सिंहदेव, सर्वश्री कवासी लखमा, रामलाल चौहान, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.20 बजे स्थगित होकर 11.26 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 03 (कुल 03) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 56 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2015 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		**समय**
1.	वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	-	03 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015	-	30 मिनट
2.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015	-	30 मिनट
3.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015	-	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2015	-	1 घंटा
5.	छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2015	-	1 घंटा

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

5. बहिर्गमन

डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने उनके प्रश्नों को नहीं लिये जाने एवं प्रश्नकाल हेतु समय निर्धारण करने का उल्लेख करते हुए सदन से बहिर्गमन किया

6. पृच्छा

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत छात्रों के साथ अनैतिक व्यवहार किये जाने के संबंध में चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि इसमें ध्यानाकर्षण सूचना आई है उस पर विचार किया जायेगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

7. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015), **पटल पर रखा।**

8. मार्च, 2015 सत्र के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मार्च, 2015 के समय पूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

9. मार्च, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार मार्च, 2015 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

10. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2015 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन मार्च, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

11.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री देवजी भाई पटेल

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा

(4) श्री संतोष बाफना

(5) श्री शिवरतन शर्मा

(6) श्री धनेन्द्र साहू

12. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा नान घोटाले पर ए.सी.बी. द्वारा की जा रही जांच संबंधी दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में इस बात का उल्लेख है कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उस विषय पर विधान सभा में चर्चा नहीं हो सकती। इस विषय पर पिछले सत्र में पूरी चर्चा हो चुकी है और आज चर्चा का कोई औचित्य नहीं है।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम पुस्तिका के अध्याय 14 के 134 के परंतुक एवं सभापति व्यवस्था संबंधी पुस्तिका में शामिल न्यायालयीन मामलों में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लेख किया एवं स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा कराने की मांग की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने भी उल्लेख किया कि आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है अत: प्रकरण न्याय निर्णय अधीन है। इसलिए इस संबंध में सदन में कोई भी चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य ने ' अेस्किन मे-पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस' पुस्तक से कुछ अंशों का उल्लेख किया और चर्चा की मांग की।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने न्यायालयीन मामलों के संबंध में विधान सभा की कार्यवाही दिनांक 15 जनवरी, 2010 एवं 15 मार्च, 2011 में आसंदी से दी गई व्यवस्था का उल्लेख कर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि उन्होंने उनके समक्ष विचाराधीन स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर सभा में पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के विचार एवं तर्कों का श्रवण किया। इस प्रस्ताव की ग्राह्यता या अग्राह्यता के संबंध में पश्चात निर्णय देंगे।

13. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री संतोष बाफना, अरूण वोरा, मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रदेश में चिटफंड कंपनियों द्वारा जनता से धोखाधड़ी किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रदेश में राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में व्याप्त अनियमितता की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

14. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

1. श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने अंबिकापुर जिले में आदिवासियों के नाम से फर्जी तरीके से जमीनों की रजिस्ट्री की जाने,
2. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी द्वारा प्रभावित किसानों/व्यक्तियों को भूमि का मुआवजा राशि एवं अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज नहीं दिये जाने,
3. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य ने विकासखंड चौकी क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की समस्या व्याप्त होने,
4. श्री अरूण वोरा, सदस्य ने दुर्ग जिले के शिक्षा विभाग द्वारा शेड निर्माण कार्य में अनियमितता की जाने, तथा
5. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने नगर निवेश द्वारा महासमुंद विकास योजना के प्रारूप में अनेक विसंगतियां होने संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

15. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी कि - माननीय सदस्य सर्वश्री भूपेश बघेल, श्री सत्यनारायण शर्मा जी, श्री धनेन्द्र साहू जी एवं अन्य सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दिनांक 17 जुलाई, 2015 को अपरान्ह 3.45 बजे प्राप्त हुई थी। माननीय सदस्यों ने सूचना इस आधार पर प्रस्तुत की है कि एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दिनांक 06 जून, 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के कथित घपले के सम्बन्ध में जो चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, उसमें गंभीर व्यापक गड़बड़ियां हैं।

प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि चालान में से अनेक बड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के नाम हटा लिए गए हैं, जिन आरोपियों से छापों के दौरान अवैध धनराशि प्राप्त की गई थी, उन्हें गवाह बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है और सम्पूर्ण कार्यवाही में उदासीनता बरतते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालयों और आवासों में मारे गए छापों से मिली डायरी और पृष्ठों को भी जांच का हिस्सा नहीं बनाया गया है तथा दोहरे मापदण्ड अपनाकर एक से आरोपों के बावजूद कुछ ही लोगों को आरोपी बनाया गया है। एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा साक्ष्य के रूप में जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उसमें भी आधे-अधूरे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। एन्टी करप्शन ब्यूरो की निष्पक्षता और विश्वास पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि सम्पूर्ण मामले में प्रदेशवासी आंदोलनरत हैं, जगह-जगह आंदोलन-प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

मैंने स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु के संबंध में शासन का वक्तव्य भी प्राप्त किया। शासन ने अपने वक्तव्य में प्रगट किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम में की गई आर्थिक अनियमितता के सम्बन्ध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा अपराध क्रमांक 9/2015, भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 109, 120 बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) (डी), 13(2) दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत नागरिक आपूर्ति निगम के 14 अधिकारियों, कर्मचारियों और राज्य भण्डार गृह निगम के 1-1 अशासकीय व्यक्ति के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही उपर्युक्त विषय में प्रत्यक्षत: संबंधित प्रकरण क्रमांक 794/2015 दिनांक 15/6/2015 विशेष न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विशेष न्यायालय रायपुर के समक्ष विचाराधीन है।

मैंने स्थगन प्रस्ताव एवं शासन से प्राप्त वक्तव्य तथा स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता, अग्राह्यता के सम्बन्ध में सभा में सूचना देने वाले सदस्यों एवं अन्य सदस्यों के विचारों, पूर्व में

लोकसभा एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा में आसंदी से दी गई व्यवस्थाओं पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।

स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता का मूल तत्व यह है कि सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में असफल होती है या सरकार की असफलता या कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का तत्व प्रकट होता हो।

सूचना अचानक कोई स्थिति उत्पन्न होने को आधार बनाकर प्रस्तुत नहीं की है अपितु विगत लगभग 3 माह से एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा निरंतर चल रही कार्यवाही को आधार बनाया है। विचाराधीन प्रस्ताव में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही में आरोपात्मक कथन किए गए हैं। आरोपों का आधार स्पष्ट नहीं किया है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो विधि के अन्तर्गत गठित पृथक कार्य करने वाली एक स्वतन्त्र निकाय है, जिसकी कार्य विधि में सरकार का कोई दखल नहीं है। सूचना में सरकार की किसी चूक का उल्लेख भी नहीं किया है।

एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा चालान विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। सम्पूर्ण मामला अब न्याय निर्णयाधीन है। एन्टी करप्शन ब्यूरो की कार्यविधि में गड़बड़ी की ओर विशेष न्यायालय में विधि के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

सूचना में सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों में असफलता का उल्लेख नहीं है। आंदोलन-प्रदर्शन भी स्थगन प्रस्ताव की गाह्यता की विषय वस्तु नहीं है।

अत: मैं स्थगन प्रस्ताव के आधार, तथ्यों एवं सदन में दी गई पूर्व व्यवस्थाओं व स्थापित प्रक्रिया एवं परम्पराओं के परिप्रेक्ष्य में स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करता हूँ।

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री धनेन्द्र साहू, श्री भूपेश बघेल, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने आसंदी से स्थगन प्रस्ताव पर दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार कर चर्चा कराने का आग्रह किया तथा श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा अध्यक्षीय व्यवस्था के अंशों को पढ़ा गया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री तथा श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्षीय व्यवस्था के अंशों के उल्लेख करने तथा व्याख्या करने पर आपत्ति की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आप सभी की बातों को सुनकर मेरे द्वारा व्यवस्था दी गई है अगर आपको इस संबंध में कोई बात करनी है तो कक्ष में आकर मिल सकते हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था पर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं देता।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 3.13 बजे स्थगित की जाकर 3.35 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने आग्रह किया कि आज नियम 139 के अधीन महत्वपूर्ण चर्चा है उसमें सदस्य भाग लें।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने पुन: स्थगन पर चर्चा कराने हेतु अध्यक्षीय व्यवस्था पर पुनर्विचार का आग्रह किया।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 4.02 बजे स्थगित की जाकर 4.23 बजे समवेत हुई।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने स्थगन पर चर्चा कराने हेतु पुनर्विचार का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि इस पर व्यवस्था दे दी गई है। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

सायं 4.27 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015 (आषाढ़, 30 शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा